भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

राज्य सभा

लिखित प्रश्न सं. 307

गुरूवार, 08 दिसम्बर, 2022/17 अग्रहायण, 1944 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

पर्यटन को बढ़ावा दिया जाना

307. श्री ईरण्ण कडाडीः

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में, विशेष रूप से कर्नाटक राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान उक्त योजनाओं/कार्यक्रमों के तहत प्रदान की गई निधि का योजना-वार/कार्यक्रम-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में विदेशी पर्यटकों से दुर्व्यवहार/उन पर हमले के मामले सरकार के संज्ञान में आए हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा किए गए/किए जा रहे सुधारात्मक उपाय क्या हैं?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) और (ख): पर्यटन मंत्रालय कर्नाटक सहित देश में पर्यटन गंतव्यों का समग्र रूप से संवर्धन करता है। ''आतिथ्य सहित घरेलू संवर्धन एवं प्रचार'' (डीपीपीएच) योजना और ''विदेशों में संवर्धन एवं प्रचार की पुनर्संरचित योजना'' (आरएसओपी) के तहत घरेलू तथा वैश्विक बाजारों में संवर्धन कार्यकलाप किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त यह मंत्रालय ''स्वदेश दर्शन'' और ''तीर्थस्थान जीर्णोद्धार एवं आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान'' (प्रशाद) योजनाओं के तहत राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों/ केन्द्रीय एजेंसियों को वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त पर्यटन अवसंरचना विकास के लिए केन्द्रीय एजेंसियों को वित्तीय सहायता भी दी जाती है। विकास हेतु परियोजनाओं की पहचान राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों के परामर्श से की जाती है और निधियों की उपलब्धता, उपयुक्त विस्तृत परियोजना रिपोर्टों की प्रस्तुति, योजना दिशा-निर्देशों के अनुपालन, पहले जारी की गई निधियों के उपयोग आदि की शर्त पर उन्हें स्वीकृति प्रदान की जाती है।

अब पर्यटक एवं गंतव्य केन्द्रित दृष्टिकोण अपनाते हुए स्थायी एवं महत्वपूर्ण पर्यटन गंतव्यों के विकास के उद्देश्य से स्वदेश दर्शन 2.0 (एसडी 2.0) के रूप में स्वदेश दर्शन योजना को नया रूप दिया गया है। एसडी 2.0 योजना के अंतर्गत केन्द्रीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति

(सीएसएमसी) द्वारा कर्नाटक में निम्नलिखित दो गंतव्यों की सिफारिश की गई है यथा हम्पी एवं मैसूरू। पर्यटन अवसंरचना विकास के लिए केंद्रीय एजेंसियों को सहायता योजना के तहत होसपेट रेलवे स्टेशन पर पर्यटन सुविधाओं के विकास के लिए रेल मंत्रालय के साथ 50:50 की लागत साझा करने के आधार पर 5.41 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए थे, जिसमें से रेल मंत्रालय को दो किस्तों में 4.32 करोड़ रुपये पहले ही संवितरित किए जा चुके हैं

पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक और चालू वर्ष के दौरान उपरोक्त योजनाओं के तहत प्रदत्त निधियों का योजना-वार ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

(ग) और (घ): पर्यटकों की सुरक्षा अनिवार्यत: राज्य सरकार का विषय है। तथापि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विदेशी पर्यटकों के प्रति अपराध के दर्ज मामलों का रिकॉर्ड रखा जाता है और उनके द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वर्ष 2021 के दौरान ऐसे मामलों की कुल संख्या 71 है। इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा निम्नलिखित सुधारात्मक उपाय किए गए हैं:-

i. पर्यटन मंत्रालय ने विशिष्ट पर्यटन पुलिस की स्थापना के लिए सभी राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र (यूटी) प्रशासनों के समक्ष यह मामला उठाया है। पर्यटन मंत्रालय के प्रयासों से आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गोवा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों ने किसी न किसी रूप में पर्यटक पुलिस की तैनाती की है।
ii. पर्यटन मंत्रालय यह मामला राज्य सरकारों के समक्ष रखने के लिए गृह मंत्रालय का सहयोग लेता रहा है। गृह मंत्रालय ने वर्ष 2015 में आयोजित पुलिस महानिदेशक (डीजी) तथा पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) सम्मेलन के दौरान किए गए विमर्श के अनुसार पर्यटक पुलिस के सम्बन्ध में अवधारणा दस्तावेज अग्रेषित किया था। इसके अतिरिक्त गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार 25 पर्यटक स्थलों की सूची भेजी गई जिन्हें राज्यों/संघ राज्यक्षत्रों में पृथक पुलिस इकाई के गठन के लिए प्रायोगिक परियोजना के रूप में अपनाया जा सकता है।
iii. पर्यटक पुलिस की आवश्यकता को समझने और इस प्रकार सृजित पर्यटक पुलिस को पर्यटकों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए पर्यटन मंत्रालय के नियंत्रणाधीन भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान (आईआईटीटीएम) द्वारा एक अध्ययन किया गया था।
iv. पर्यटन मंत्रालय ने बीपीआरएण्डडी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर अखिल भारतीय स्तर पर समान पर्यटक पुलिस योजना के कार्यान्वयन के लक्ष्य से दिनांक 19 अक्टूबर, 2022 को नई दिल्ली में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के पुलिस विभागों के डीजी/आईजी के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया था।

v. पर्यटन मंत्रालय ने भारत में यात्रा से सम्बन्धित सूचना और भारत में यात्रा के दौरान संकट में फँसे पर्यटकों को समुचित मार्गदर्शन देने के रूप में सहायता सेवा प्रदान करने के लिए घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए 10 अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं (जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश, इटैलियन, पुर्तगाली, रूसी, चीनी, जापानी कोरियाई, अरबी), हिन्दी, अंग्रेजी सहित 12 भाषाओं में टॉल फ्री नम्बर 1800111363 या लघु कोड 1363 पर 24x7 बहुभाषी पर्यटक ईन्फो-हेल्पलाइन शुरू की है।

vi. पर्यटन मंत्रालय ने सभी राज्यों तथा संघ राज्यक्षेत्रों के पर्यटन विभागों सहित सभी हितधारकों के साथ 'सुरक्षित एवं सम्मानजनक पर्यटन हेतु आचार संहिता' को अपनाया है जो पर्यटकों और स्थानीय नागरिकों विशेष रूप से महिलाओं तथा बच्चों के लिए गरिमा, सुरक्षा तथा उत्पीड़न से मुक्ति जैसे मूलभूत अधिकारों के लिए सम्मान के साथ पर्यटन कार्यकलापों को प्रोत्साहित करने के लिए दिशा-निर्देशों का एक संग्रह है।

****

अनुबंध

पर्यटन को बढ़ावा दिया जाना के सम्बन्ध में दिनांक 08.12.2022 के राज्य सभा के लिखित प्रश्न सं. 307 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में विवरण

उपरोक्त योजनाओं के तहत पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक और चालू वर्ष के दौरान प्रदत्त निधियों का **विवरण**

(राशि करोड़ रु. में)

क्र.सं.	**योजना/शीर्ष (राजस्व)**	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (**बीई**)
1.	पर्यटन परिपथ/ स्वदेश दर्शन	565.93	560.76	261.36	1181.30
2.	तीर्थस्थानों के सौंदर्यीकरण के लिए राष्ट्रीय मिशन/प्रशाद	144.71	124.79	150.00	235.00
3.	विदेशों में संवर्धन एवं प्रचार सम्बन्धी पुनर्संरचित योजना	312.04	108.09	09.42	341.00
4.	आतिथ्य सहित घरेलू संवर्धन एवं प्रचार	99.63	33.89	40.00	75.00

****